POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 09.12.2024

1. थाना नॉलेज पार्क पुलिस और 25,000 रूपये के इनामी वांछित अभियुक्त के बीच मुठभेड़ के सम्बन्ध में-

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **09.12.2024** को थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के झट्टा रेलवे अण्डरपास के पास से अभियुक्त राजा उर्फ मुकेश पुत्र चन्द्रवीर निवासी ग्राम चादोंक थाना जहाँगीराबाद जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता ग्राम चिपयाना, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब **26** वर्ष को पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल फोन व थाना बादलपुर क्षेत्र से चोरी हुई मोटरसाइकिल स्पलेन्डर रजिस्ट्रेशन नं**0** यूपी **14** जी.एच **8868** व **01** अवैध तमंचा मय **01** जिन्दा, **01** खोखा कारतूस बरामद किया गया है। दिनांक **12.10.2024** को अभियुक्त राजा उर्फ मुकेश उपरोक्त द्वारा अपने **02** साथियों के साथ मिलकर थाना नॉलेजपार्क क्षेत्र से अपाचे मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन लूटकर भाग गये थे जिनका एक साथी जीतू पुत्र अनिल निवासी मौहल्ला न्यूसाडा पीर वाली गली के पास, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर को थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा लूटी हुई मोटरसाइकिल के साथ दिनांक **27.10.2024** को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा द्वारा **25,000** रूपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त का एक साथी फरार चल रहा है जिसकी तलाश हेतु टीम गठित है।

अभियुक्त का विवरण—

राजा उर्फ मुकेश पुत्र चन्द्रवीर निवासी ग्राम चादोंक, थाना जहाँगीराबाद, जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता ग्राम चिपयाना, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब **26** वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. **मु0अ0सं0** 220/2024 **धारा** 309(4)/317(2) **बीएनएस थाना नॉलेज पार्क**, **कमि0 गौतमबुद्धनगर।**
2. **मु0अ0सं0** 496/2022 **धारा** 379/411 **भादवि थाना मोदीनगर**, **गाजियाबाद।**
3. **मु0अ0सं0** 131/2015 **धारा** 2/3 **गैंगस्टर एक्ट थाना सिहानी गेट**, **गाजियाबाद।**

4. मु0अ0सं0 1048/2021 धारा 411 भादवि थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद।

5. मु0अ0सं0 471/2017 धारा 25 ए एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

6. मु0अ0सं0 966/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

7. मु0अ0सं0 266/2017 धारा 392/411 भादवि थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

8. मु0अ0सं0 291/2017 धारा 379 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

9. मु0अ0सं0 828/2021 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

10. मु0अ0सं0 855/2021 धारा 307/34 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

11. मु0अ0सं0 856/2021 धारा 3/25/27 ए एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- लूटा हुआ मोबाइल फोन
2- थाना बादलपुर से चोरी हुई मोटरसाइकिल स्पलेन्डर रजिस्ट्रेशन नं0 यूपी 14 जी.एच. 8868
3- 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

2. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये फर्जी फूड सप्लीमेंट फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुये ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से सप्लाई करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार। फैक्ट्री से भारी मात्रा में प्रोटीन के डिब्बे, कैप्सूल के डिब्बे, रैपर, पाउडर के बोरे, पैकिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन एवं मुहर आदि सामान (कीमत करीब-50 लाख रूपये) बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक **09.12.2024** को वादी द्वारा थाना सेक्टर-63 नोएडा पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें वादी द्वारा जी ब्लॉक प्लॉट नं0 जी-86 में स्थित कम्पनी से कुछ सप्लीमेन्ट ऑर्डर करने एवं उनके सेवन से पेट व लीवर मे परेशानी होना, चेहरे पर कील-मुहांसे हो जाने एवं कम्पनी के लोगो द्वारा वादी के साथ षडयंत्र कर धोखाधडी करना आदि के आरोप अंकित किये गये थे।

कार्यवाही का विवरण-- उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा जी-86 सेक्टर-63 नोएडा पर जाकर जांच की गयी तो देखा कि बेसमेन्ट में 03 व्यक्ति खाली डिब्बो मे कुछ भर रहे थे तथा बेसमेन्ट में काफी मात्रा मे फूड सप्लीमेन्ट के भरे डिब्बे जिनमें रॉरेज कम्पनी के एवं द एथेलीट कम्पलीट न्यूट्रीशन

प्रोटीन के डिब्बे एवं रैपर, पैकिंग मशीन, प्रिन्टिग मशीन आदि अन्य सामान रखा हुआ था। खाली डिब्बे भर रहे तीनो व्यक्तियों से खाद्य विभाग की तरफ से जारी लाईसेन्स या विनिर्माण लाइसेन्स/प्रमाण पत्र अथवा उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित कागजात के बारे मे पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नही दिया और उनके पास किसी भी प्रकार का लाईसेन्स/प्रमाण पत्र या अन्य कोई कागजात नही मिला। खाद्य सुरक्षा टीम को मौके पर बुलाया गया तथा पुलिस व खाद्य विभाग की जांच में पता चला है कि उक्त तीनो व्यक्ति फर्जी फूड सप्लीमेंट तैयार कर सप्लाई कर रहे थे।

इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप सत्य पाये जाने पर थाना सेक्टर-**63**, नोएडा पुलिस द्वारा जांच के क्रम में फर्जी फूड सप्लीमेन्ट बहुत कम खर्चे मे तैयार कर ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से बेचने व असली फूड सप्लीमेन्ट के रुप मे ग्राहको को 4 से 5 गुना कीमत पर डिलीवर करने एवं ग्राहको के स्वास्थय के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त 1-साहिल यादव पुत्र मुकेश यादव 2- हर्ष अग्रवाल पुत्र प्रमोद अग्रवाल 3-अमित चौबे पुत्र सुरेश चौबे को जी-86 सेक्टर-**63**, नोएडा से गिरफ्तार किया गया तथा मौके से भारी मात्रा में प्रोटिन के डिब्बे, कैप्सूल के डिब्बे, खाली रैपर, छोटे बडे पैकेट, खाली डिब्बे, 10 बोरे पाउडर, नीला छोटा ड्रम, पैकिंग मशीन, प्रिन्टिंग मशीन, 03 मुहर आदि अन्य सामान बरामद किया गया।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त साहिल यादव द्वारा वर्ष 2017-2018 में हरियाणा में फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कम्पनी एडवांस न्यूट्रा टेक में काम किया था। वहां से काम सीखने के बाद अभियुक्त साहिल यादव द्वारा खुद की रॉरेज के नाम से जी-86 में दिनांक 01.12.2024 को कम्पनी बनायी तथा हर्ष को अपना पार्टनर बनाया एवं अमित को कम्पनी में मैनेजर के रूप में नियुक्त कर फर्जी फूड सप्लीमेंट बनाने का काम शुरू कर दिया। अभियुक्तगण फर्जी फूड सप्लीमेंन्ट का डिब्बा तैयार कर अपनी कम्पनी का रैपर लगाकर उसे ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से बेचते थे, जहां से जिम जाने वाले युवक-युवतियो के इनके पास आर्डर आते थे। अभियुक्तगण आर्डर आने के बाद 3500/रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कोरियर के माध्यम से अपने द्वारा तैयार किया गया फर्जी फूड सप्लीमेन्ट ग्राहको को सप्लाई करते थे। इस प्रकार तैयार किये गये प्रति डिब्बा पर 4 से 5 गुना तक कीमत लेकर मोटा मुनाफा कमाते थे।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि हम तीनो लोग मिलकर फर्जी फूड सप्लीमेन्ट का कच्चा माल जगह-जगह से बहुत सस्ते दामों में खरीदते है। फिर उस माल से कम कीमत में फर्जी फूड सप्लीमेन्ट का डिब्बा तैयार कर अपनी कम्पनी का रैपर लगाते थे तथा उसे असली बताकर प्रति डिब्बे पर 4 से 5 गुना तक कीमत लेकर तैयार माल की सप्लाई नोएडा, दिल्ली, हरियाणा एवं जगह-जगह करते थे। हम यह फर्जी सप्लीमेन्ट बहुत कम खर्चे मे तैयार करते थे और असली फूड सप्लीमेन्ट के रुप मे ग्राहको को ऊंची कीमतो मे बेच देते थे।

अभियुक्तगण फर्जी फूड सप्लीमेन्ट का कच्चा माल किस जगह से ला रहे थे तथ कहां-कहां भेज रहे थे तथा इनके गिरोह में कौन-कौन शामिल है। इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तों का विवरण--

1- साहिल यादव पुत्र मुकेश यादव मूल पता एच-404, सुपरटैक आईकन न्याय खण्ड-1 इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद हाल पता एच-1001 सुपरटैक आईकन न्याय खण्ड-1 इन्दिरापुरम, जनपद गाजियाबाद (उम्र करीब 27 वर्ष) (मालिक)
2- हर्ष अग्रवाल पुत्र प्रमोद अग्रवाल निवासी फ्लैट न0 1102, टावर-1 ऑरेन्ज काउंटी इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद (उम्र 28 वर्ष) (मालिक)
3- अमित चौबे पुत्र सुरेश चौबे निवासी म.न. 335 गली न-4 सरस्वती कॉलोनी, साहिबाबाद गाँव थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद (उम्र 30 वर्ष) (मैनेजर)

बरामदगी का विवरण--

1- प्रोटिन के बडे डिब्बे- 33 (RAWARAGE कम्पनी के)
2- कैप्सूल के छोटे डिब्बे- 2050
3- खाली रैपर छोटे बडे- 10 पैकेट
4- खाली डिब्बे छोटे- 5500
5- पाउडर के बोरे- 10 (मेटाडेक्सट्राइन पाउडर, केफिन, कोका पाउडर, एसएमपी पाउडर, अश्वगंधा, चोकलेट पाउडर)
6- नीला छोटा ड्रम- 01
7- पैकिंग मशीन
8- प्रिन्टिंग मशीन
9- 03 मोहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 560/24 धारा 318(4)/61(2) बीएनएस थाना सेक्टर-**63**, नोएडा

3. थाना फेस-3 पुलिस द्वारा 02 अन्तर्राज्यीय दुपहिया वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से एक तंमचा .315 बोर, 01 अवैध चाकू, 07 फर्जी नंबर प्लेट व चोरी की 14 मो0सा0 बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **09.12.2024** को **थाना फेस-3** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये दुपहिया वाहन चोर अभियुक्तों 1. मोहित उर्फ पुदीना उर्फ बिट्टु चौहान 2. अजय सिंह उर्फ सिनचौन को डंपिंग ग्राउण्ड सै0 71 से गिरफ्तार किया गया है। कब्जे/निशादेही से एक तंमचा .315 बोर , 01 अवैध चाकू, 07 फर्जी नंबर प्लेट व चोरी की 14 मो0सा0 बरामद।

अभियुक्तों द्वारा भीडभाड वाले क्षेत्र से मो0सा0 चोरी करना तथा अपने पास अवैध शस्त्र रखते है। अभियुक्तों द्वारा अन्य राज्यों हरियाणा ,उत्तराखण्ड, दिल्ली व यू0पी0 से भी वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है।

अभियुक्तों का विवरण—

1. मोहित उर्फ पुदीना उर्फ बिट्टु चौहान पुत्र मनोज कुमार उर्फ प्रमोद निवासी ग्राम पुरैना तहसील नगीना जिला बिजनौर वर्तमान पता ग्राम हरौला निकट केले के गोदाम के पास सेक्टर-5 थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र- 22 वर्ष
2. अजय सिंह उर्फ सिनचौन पुत्र राजे सिंह नि0 गांव अलवर्दीपुर पुस्ता रोड मेन मार्केट चौराहा के सामने सीधी गली थाना इकोटेक-3 जनपद गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता बी-47 के समाने झुग्गी झोपडी सेक्टर-67 थाना फेस-3 उम्र करीब 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

अभियुक्त मोहित का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 421/2024 धारा 317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस, 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0स0 278/24 धारा 303(2) बीएनएस एक्ट थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
3. एफआईआर संo-22975/2024 ई पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट दिल्ली
4. मु0अ0सं0 324/22 थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत
5. एफआईआर सं0-3204/2019 थाना ई पुलिस स्टेशन दिल्ली
6. मु0अ0सं0 57/21 थाना रानीपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड
7. मु0अ0सं0-023/13 थाना मॉडल टाउन पानीपत हरियाणा
8. मु0अ0सं0 51/2024 थाना सै0-49 नोएडा
9. मु0अ0सं0 300/2024 धारा 303(2)/317(2)बीएनएस थाना से0-58 नोएडा
10. मु0अ0सं0 239/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना से0-58 नोएडा

11. मु0अ0सं0 264/2024 धारा 304(2) बीएनएस थाना से0-58 नोएडा
12. मु0अ0सं054/2024 धारा 379/411 भादवि थाना निवाडी गाजियाबाद

अभियुक्त अजय उर्फ सिनचौन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 421/2024 धारा 317(5)/345(3) बीएनएस, 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3

2. मु0अ0स0 278/24 धारा 303(2) बीएनएस एक्ट थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

3. मु0अ0स0 124/2023 धारा 379/411 भादवि थाना से0-63 नोएडा गौतमबुध्दनगर।

4 .मु0अ0स0 229/2023 धारा 379/411/414/482 भादवि, 4/25 आमर्स एक्ट थाना से0-63 गौतबुध्दनगर।

5. एफआईआऱ सं0-22975/2024 ई पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट दिल्ली

6. मु0अ0सं0 324/22 थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत

7. एफआईआर सं0-3204/2019 थाना ई पुलिस स्टेशन दिल्ली

8. मु0अ0सं0-57/21 थाना-रानीपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड

9. मु0अ0सं0 23/13 थाना मॉडल टाउन पानीपत हरियाणा

10. मु0अ0सं0-51/2024 थाना से0-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. एक तंमचा .315 बोर,
2. 01 अवैध चाकू,
3. 07 फर्जी नंबर प्लेट
4. चोरी की 14 मो0सा0